

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर /

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)/

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) /वि0अनु0शा0,

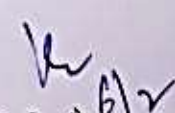
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

**विषय:- ई-वे बिल व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बंध में।**

शासन द्वारा विज्ञप्ति संख्या- 138 दिनांक 30-01-18 द्वारा नियम 138 में संशोधन को दिनांक 01-02-2018 से प्रभावी किया गया था तथा इस विज्ञप्ति के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर नेशनल ई-वे बिल व्यवस्था लागू की गयी थी, जिसे जी0एस0टी0 काउंसिल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01-02-2018 से इण्टरस्टेट व इन्ट्रास्टेट सम्बन्धियों के लिये अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया था।

शासन द्वारा अपने पत्र संख्या-178/ग्यारह-9(42)-17 टी0सी0 दिनांक 06-02-2018 से अवगत कराया गया है कि विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-177 / ग्यारह-9 (42)/ 17-यू0पी0जी0एस0टी0 नियमावली -2017-आदेश (109)-2018 दिनांक 06-02-2018 द्वारा विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-138/ ग्यारह-9(42)/17यू0पी0जी0एस0टी0 नियमावली-2017-आदेश (101)-2018 दिनांक 30-01-2018 विखंडित कर दी गयी है जिसके कारण मूल नियम 138 के अन्तर्गत जारी ई-वे बिल व्यवस्था सम्बंधी विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1845/ ग्यारह-9 (52)/ 17-यू0पी0रूल -1-2017-आदेश (94)-2017 दिनांक 06-12-2017, यथासंशोधित विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1014/ ग्यारह-9(52)/ 17-यू0पी0अधि0-1-2017-आदेश (31)-2017 दिनांक 21-07-2017 स्वतः प्रभावी हो गयी है।

अतः विज्ञप्ति संख्या-1014 दिनांक 21-07-2017 एवं संशोधन हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या-1845 दिनांक 06-12-2017 के स्वतः प्रभावी हो जाने से दिनांक 31-01-2018 तक लागू ई-वे बिल व्यवस्था तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गयी है। उक्त विज्ञप्तियों में प्राविधानित ई-वे बिल 01, 02, 03 व टी0डी0एफ0-1 एवं टी0डी0एफ0-2 माल के परिवहन या अभिवहन भण्डारण के दौरान माल के साथ रखना आवश्यक है तथा यह प्रपत्र पूर्ववत विभाग की वेबसाइट [http:// comtax.up.nic.in](http://comtax.up.nic.in) से डाउनलोड किया जाएगा। उपर्युक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुये इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। इस सम्बंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 09-02-2018 की मध्य रात्रि तक माल का वैध प्रपत्रों से परिवहन पाये जाने पर मात्र ई-वे बिल न होने के आधार पर कोई अभिग्रहण सम्बंधी कार्यवाही न की जाये।

  
(कामिनी चौहान रतन)  
कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।